मसूदा (अजमेर)

8/6/17	वकील ए पक्षी के उपस्थित। प्रार्थना पत्र T I के साथ पेश पूर्ववर्ती वाद पक्षकारान के असयोजन से खारिज किया गया तथा पश्चात्वर्ती वाद स्वीकार किया गया एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा चुकी है इसलिए प्रार्थना पत्र प्रभाव शून्य हो गया है। अतः कार्यवाही प्रा० पत्र डिस्पोज की जाती है। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.24 16:39:00 IST
Reason: SelfAttested